

राजस्थान सरकार

बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर

फोन नं.-0141 -2399335,2399336 ई मेल - ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांक : एफ 20(9)(2)बा.अ.वि/ICPS/किन्चाबोर्ड/गठन एवं संचालन/16/498-98 जयपुर दिनांक 27/12/2016

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम,2015 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जाँच, सुनवाई एवं निपटान हेतु एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो 1 महानगर मजिस्ट्रेट /प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट व 2 सदस्य (जिनमें से एक महिला होनी चाहिए) से मिलकर बनी एक न्यायपीठ होगी। प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड को दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 में प्रदत्त महानगर मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होगी।

किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार है।

1. किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त तभी किया जाएगा जब ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक तात्पर्यित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से अर्न्तवर्लित हो या बालक मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसायरत व्यवसायी हो।
2. कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि—
 - i. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है;
 - ii. उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वर्लित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।
 - iii. उसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है।

- iv. वह कभी बालक दुर्व्यपार या बाल श्रमिक के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।
- v. सामाजिक कार्यकर्ता अधिकतम दो कार्यकालों के लिए ही बोर्ड के सदस्य के लिए पात्र होंगे, जो कि लगातार नहीं होंगे।

सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अन्य आवश्यक अर्हताएं निम्नानुसार हैं:-

- i. बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आवेदन के समय आयु 35 वर्ष से कम न होगी।

इस क्रम में राज्य के झालावाड़ जिले में किशोर न्याय बोर्ड के (1-सदस्य के रिक्त पद पर), धौलपुर (1- महिला सदस्य रिक्त पद पर), जालौर (1-महिला सदस्य रिक्त पद पर), हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन किया जाना है। किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों का चयन 3 वर्ष अथवा रिक्त समय के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

अतः किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों के पदों के विरुद्ध मनोनयन हेतु ऊपर वर्णित अर्हताएं रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दिनांक 11.1.2017 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन पत्र उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जिला बाल संरक्षण इकाई के संबंधित जिला कार्यालय एवं विभागीय वेब साइट www.sje.rajasthan.gov.in www.dcrraj.in से प्राप्त किए जा सकते हैं एवं आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्धारित दिनांक तक संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।


(एल.एल.मीना)

आयुक्त एवं शासन विशिष्ट सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
2. अध्यक्ष,राज्य स्तरीय चयन समिति,राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग,जयपुर।
5. निजी सचिव,निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता,जयपुर।
6. निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
7. सहायक निदेशक /प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई ————— को प्रेषित कर निवदेन है कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों के क्रम में योग्य आवेदकों के आवेदन विशेष वाहक द्वारा जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, की अभिशंषा/अग्रेषण पत्र सहित दिनांक 16.1.2017 तक विभाग को भिजवाने का श्रम करावें । यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक पद के लिये कम से कम तीन अभ्यर्थी हो ताकि चयन समिति के समक्ष योग्य व्यक्तियों के चयन हेतु विकल्प उपलब्ध रहे।
8. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग————— ।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शनार्थ ।
10. रक्षित पत्रावली ।

आयुक्त एवं शासन विशिष्ट सचिव

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20 / 198. कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर
tel. 0141-2399335 Email-ccosjerajasthan@gmail.com

किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के मनोनयन हेतु नवीन आवेदन प्रारूप

जिले का नाम-.....।

विज्ञप्ति क्रमांक-.....।

वर्ष-.....।

1.	आवेदक का नाम		आवेदक की नवीन फोटो
2.	पिता/पति का नाम		
3.	जन्म तिथि (आवेदन के समय आवेदक की आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए)		
4.	शैक्षणिक योग्यता		
5.	अन्य योग्यता		
6.	वर्तमान व्यवसाय		
7.	ऑफिस का पूर्ण पता		
8.	निवास का पूर्ण पता		
9.	ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल. नम्बर		
10.	विज्ञप्ति में अंकित बिन्दु संख्या 1 उल्लेखित अर्हताओं में कौन-सी अर्हता रखते हैं, का विवरण दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		
11.	आवेदन तिथि को आवेदक द्वारा बालकों से तात्पर्यित स्वास्थ्य, शिक्षा, और कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के अनुभव की अवधि दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)		

12.	आवेदक को उल्लेखनीय कार्य के लिए प्राप्त सम्मान पदक, प्रमाण पत्र आदि यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)	
13.	बाल कल्याण से संबंधित उपायों की योजना एवं कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से अन्तर्वलित रहने का कार्य की अवधि सहित विवरण दें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)	
14.	क्या आवेदक के विरुद्ध न्यायालय / थाने में प्रकरण दर्ज/लंबित/ निस्तारित हो चुका है/रहा है के संबंध में पूर्ण विवरण दें, निस्तारण होने पर क्या दोष सिद्ध ठहराया गया है, तो इसका पूर्ण विवरण दें। (पुलिस विभाग द्वारा जारी नवीनतम चरित्र सत्यापन प्रमाण करें जो कि 6 माह से अधिक पुराना न हो)	
15.	क्या आवेदक बालक से दुर्व्यवहार अथवा बाल श्रमिकों को रोजगार पर लगाने अथवा मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले या अनैतिक कार्य में सम्मिलित रहा है, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।	
16.	क्या आवेदक ऐसा कोई अन्य व्यवसाय कर रहा है जिसके कारण वह इस बोर्ड के कार्य के निष्पादन पर आवश्यक समय व ध्यान न दे सकता हो। यदि हाँ तो विवरण दें।	
17.	क्या आवेदक पूर्व में कभी किशोर न्याय बोर्ड/ बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष/सदस्य रहा/रही हैं, तो उक्त पद पर रहने की अवधि का उल्लेख करें। (पुष्टि/साक्ष्य हेतु बिन्दु संख्या 14 से 17 तक के लिए शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापन करवाकर संलग्न करें।)	
18.	अन्य (जो आवेदक उल्लेखित करना चाहता है)	

नोट: इस आवेदन पत्र प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप /पुराने प्रारूप में भेजे गए आवेदन पत्र सर्वथा अमान्य होंगे। भरे हुए मूल आवेदन पत्र की दो फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

संलग्न

आवेदक के हस्ताक्षर